भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2967
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्याज के लिए शीतागार का निर्माण

2967. श्री अबू ताहेर खान:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुर्शिदाबाद जिले में अधिकांश लोग प्याज की खेती पर निर्भर हैं जो कि यहां की बहुमूल्य फसलों में से एक है;
(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि प्याज के परिरक्षण की समुचित सुविधाओं के अभाव में मुर्शिदाबाद के किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ग) विशेष कर मुर्शिदाबाद जिले में प्याज के लिए शीतागार के निर्माण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुर्शिदाबाद जिले में कुल कृषि योग्य क्षेत्र 3.65 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 13071 हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है।

(ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) वर्ष 2018-19 से केंद्र क्षेत्र अम्ब्रेला योजना अर्थात प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटक योजनाओं में से एक ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को कार्यान्वित कर रहा है। ऑपरेशन ग्रीन्स-लांग टर्म इंटरवेंशनस स्कीम के तहत, एमओएफपीआई सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% और कठिन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एफपीओ और स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रति परियोजना अधिकतम 15 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता तथा प्याज सहित 22 शीघ्र खराब होने वाली फसलों के पहचाने गए उत्पादन क्लस्टर में स्टेंडअलोन पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।

ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के अंतर्गत, एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) के गठन, पहचाने गए उत्पादन क्लस्टरों में फसलोपरांत प्रसंस्करण और विपणन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने चिन्हित क्लस्टर में विभिन्न चिन्हित फसलों के लिए 44 ऑपरेशन ग्रीन्स परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एफपीआई और बागवानी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही जिला बागवानी कार्यालय, मुर्शिदाबाद के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए एमआईडीएच योजना के तहत कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना (25 मीट्रिक टन) का निर्माण किया है, जो निम्न हैं-

वर्ष	निर्मित इकाई की संख्या	टिप्पणियाँ
2020-21	85	प्याज भंडारण की अनुमानित क्षमता: 10,425 मीट्रिक टन
2021-22	27	
2022-23	106	
2023-24	104	
2024-25	95	
कुल	417	

पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी बताया है कि मुर्शिदाबाद जिले के लाभार्थियों को कुल 364.875 लाख रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। उपरोक्त के अलावा, मुर्शिदाबाद जिले में, अन्य विभागों ने भी विभिन्न राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 1908 मीट्रिक टन क्षमता के लिए प्याज भंडारण का निर्माण किया है।

(ग): सरकार विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, जिसके अंतर्गत पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर उत्तर प्रदेश सहित देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से तथा संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, साझेदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज और बागवानी उत्पादों के भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन

से अधिक और 20000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के एक घटक के रूप में एकीकृत शीत श्रृंखला, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरान्त होने वाले नुकसान को कम करना और किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए 50% की दर से तथा मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, बशर्ते कि विकिरण सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता दी जाए। इस योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स (एआईएफ) की शुरुआत की है। एआईएफ के तहत, 2.00 करोड़ रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त सावधि ऋण (कोलेट्रेल फ्री टर्म लोन) और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरान्त इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

****